कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025–26 / 38 दिनांक–यथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति

सत्र 2026–27 में विभिन्न प्रकार की पूर्व एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु राजस्थान के समस्त राजकीय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करवाते हुए स्वतः प्रणाली के तहत विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विद्यालय द्वारा शाला दर्पण बेनिफिशयरी स्कीम पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन किये जाने हैं (विद्यार्थियों से आवेदन नहीं लेने है)।

विद्यार्थी के प्रवेश के समय ही शालादर्पण के प्रपत्र–9, लाभकारी योजनाओं के लिये अनिवार्य छात्र सूचना एवं रिजल्ट मॉड्यूल सूचनाएं अद्यतन करते हुए विभिन्न प्रकार की पूर्व एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव तैयार किये जाने हैं। अतः अग्रांकित छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ हेतु विद्यार्थी/अभिभावक संबंधित संस्था प्रधान से सम्पर्क कर सकते हैं–

क्र.स.	छात्रवृत्ति योजना का नाम
1	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)
2	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)
3	पूर्व मैट्रिक अति पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10)
4	पोस्ट–कारगिल युद्ध में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
5	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)
6	**केन्द्र प्रवर्तित पीएम यशस्वी पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)**
7	**केन्द्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)**
8	**केन्द्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)**
9	**केन्द्र प्रवर्तित सफाई से जुडे एवं स्वास्थ्य के लिये जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 1 से 10)**
10	**केन्द्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)**
11	**केन्द्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)**
12	**केन्द्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक अन्य पिछडा वर्ग/डीएनटी वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)**
13	**केन्द्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक आर्थिक पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)**
14	उत्तर मैट्रिक अति पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)
15	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सैकण्डरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन योजना।
16	जनजाति छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कक्षा 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना।
17	प्रतिभावान सहरिया छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना।
18	सहरिया क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन प्रांरभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) हेतु आर्थिक सहायता योजना।
19	सहरिया क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन (कक्षा 6 से 12) हेतु आर्थिक सहायता योजना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 07:45:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21622991

M e-Sign

- केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थी के नाम से आधार सीडेड बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के निर्धारित योजनाओं में छात्रवृत्ति प्रस्ताव प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) के माध्यम से तैयार किये जायेंगे।
- कक्षा 9 से 12 तक NMMS छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थी अन्य किसी योजना (क्र.स. 17, 18, 19 पर अंकित योजना के अतिरिक्त) में पात्र नहीं होंगे।
- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं क्र.स. 7 से 11 हेतु विद्यार्थी का ओटीआर आवश्यक है।
- योजनाओं हेतु पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा आवश्यक दस्तावेजों का विवरण लिंक– https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/SD2/BSP/Home/SchemeDetails.aspx

विद्यालय द्वारा शालादर्पण पोर्टल से ऑटो प्रोसेस द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति प्रस्ताव तैयार करने एवं प्रमाणित (Verified) करने की अंतिम तिथि –	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.: 21622991
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 07:45:48 IST
Reason: Approved

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/39a दिनांक–यथाहस्ताक्षर

<u>विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27</u>

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. **<u>पात्रता एवं शर्ते</u>** :–

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या संरक्षक आयकर दाता न हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष में भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. **<u>छात्रवृति की दरें</u>** :–

छात्र 75/– प्र.माह (अधिकतम 10 माह)	छात्रा 125/– प्र.माह(अधिकतम 10 माह)

C. **<u>आवश्यक दस्तावेजः</u>**– जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. **<u>तिथि विवरणः</u>**–

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 39b 		दिनांक—यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा संवर्ग (ओ.बी.सी.) के विद्यार्थियों को देय पीएम यशस्वी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. **पात्रता एवं शर्तें** :—

1. विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 9 / 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता—पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित / अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा—6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. **छात्रवृति की दरें**:— 4000 / — प्रति विद्यार्थी (वार्षिक)

C. **आवश्यक दस्तावेज**:— जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. **तिथि विवरण**:—

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881
M e-Sign

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांकः—शिविरा—मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 39C दिनांक—यथाहस्ताक्षर

<u>विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27</u>

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग के विद्याथियों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A.**<u>पात्रता एवं शर्तें</u> :—**

1. विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग (1.बंजारा,बालदिया, लबाना 2. गाडिया—लोहार, गाडोलिया 3. गूजर,गुर्जर 4 राईका,रैबारी(देबासी) तथा 5. गडरिया(गाडरी), गायरी)का ही हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 06 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता—पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित / अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा—6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. **<u>छात्रवृति की दरें</u> :—**

वर्ग	**कक्षा**	**दरें (10माह हेतु)**	**कक्षा**	**दरें (10माह हेतु)**
छात्र	6 से 8	50 / — प्र.माह	9 से 10	60 / — प्र.माह
छात्रा	6 से 8	100 / — प्र.माह	9 से 10	120 / — प्र.माह

C. **<u>आवश्यक दस्तावेज</u>:—** जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. **<u>तिथि विवरण</u>:—**

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 39d दिनांक—यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27

पोस्ट—कारगिल युद्धों तथा विभिन्न इमरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति

A. **पात्रता एवं शर्तें** :—

1. विद्यार्थी पोस्ट—कारगिल युद्धों (01.04.1999 के पश्चात्) तथा विभिन्न इमरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित / अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
5. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा—6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
7. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. **छात्रवृति की दरें** :— 2500 रूपये वार्षिक

C. **आवश्यक दस्तावेज**:—

अभिभावक के शहीद या स्थायी विकलांग सैनिक होने का प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. **तिथि विवरण**:—

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/39e   दिनांक–यथाहस्ताक्षर

<u>विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27</u>

भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

A. **<u>पात्रता एवं शर्तें</u>** :–

1. छात्रा भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो।
2. छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 11/12 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. गत कक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किये हो।
4. छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्रा को किसी भी कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई छात्रा अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करती है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. **<u>छात्रवृति की दरें</u>** :– 2500 रूपये वार्षिक

C. **<u>आवश्यक दस्तावेज</u>**:– अभिभावक के भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार।

D. **<u>तिथि विवरण</u>**:–

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025–26 / 39f   दिनांक–यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र / छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. **पात्रता एवं शर्तें** :–

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध निजी विद्यालयों में कक्षा 9 / 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक / अन्य स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित / अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. **विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।**

B. **छात्रवृति की दरें**:–

डेस्कॉलर	3500 रू. / – वार्षिक	**हॉस्टलर**	7000 रू. / – वार्षिक

C. **आवश्यक दस्तावेज**:– सक्षम स्तर से जारी– जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों को संधारित रखेंगे।

D. **तिथि विवरण**:–

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/39g दिनांक–यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27

कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)

A. **पात्रता एवं शर्तें** :–

1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति का हो।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध निजी विद्यालयों में कक्षा 9/10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी के माता–पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
8. **विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।**

B. **छात्रवृति की दरें**:–

विवरण	डेस्कॉलर	हॉस्टलर
छात्रवृति/माह (अधिकतम 10 माह के लिए)	225 रुपये	525 रुपये
पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त)	750 रुपये	1000 रूपये

C. **आवश्यक दस्तावेज**:– सक्षम स्तर से जारी– जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों को संधारित रखेंगे।

D. **तिथि विवरण**:–

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881
M e-Sign

<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांकः—शिविरा—मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025—26/39h　　　　　　　　दिनांक—यथाहस्ताक्षर

<u>विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27</u>

केन्द्र प्रवर्तित सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

A. **<u>पात्रता एवं शर्तें</u>** :—

1. विद्यार्थी के माता—पिता/अभिभावक सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में हो। इस हेतु स्थानीय निकाय/सक्षम स्तर से जारी प्रमाण—पत्र अनिवार्य होगा।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
5. विद्यार्थी को एक कक्षा में पढने ं के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा—6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
7. विद्यार्थी का आधार व जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

B. **<u>छात्रवृति की दरें</u>**:—

डेस्कॉलर		हॉस्टलर	
कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक अनुदान	कक्षा छात्र/छात्रा	वार्षिक अनुदान
1 से 10	3500	3 से 10	8000

C. **<u>आवश्यक दस्तावेज</u>**:— अभिभावक के सफाईकर्मी या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण—पत्र, जनाधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों को संधारित रखेंगे।

D. **<u>तिथि विवरण</u>**:—

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720 दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अति पिछडा वर्ग **(MBC)** के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

पात्रता एवं शर्तेः–

1. विद्यार्थी को अति पिछड़ा वर्ग (MBC)का होना चाहिए।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
4. विद्यार्थी जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख रूपये हो।
5. जाति प्रमाण–पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हुए हो एवं नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हुआ हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
8. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक/अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
9. उक्त योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
10. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्य ालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
11. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशान्तर्गत संचालित की जायेगी।

छात्रवृत्ति की दरें–

कक्षा	छात्रावासी रुपये	डेस्कालर रुपये
11–12	380.00 प्रतिमाह	230.00 प्रतिमाह
कुल राशि	3800 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

<u>आवश्यक दस्तावेज</u>– सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

<u>छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि</u> :–

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 40068—7734720 / दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति **(SC)** के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

I. पात्रता एवं शर्तेः—

1. विद्यार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिए।
2. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11 / 12 में अध्ययनरत हो।
3. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी कोई अन्य छात्रवृति के पात्र नहीं होंगे।
5. विद्यार्थी के माता—पिता या उनके संरक्षक (माता—पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख रू. हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
8. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा।
9. **योजनान्तर्गत विद्यार्थी का एनएसपी एप्प ओटीआर एप्प के माध्यम से फेस ऑथेन्टिकेशन द्वारा ओटीआर नम्बर जनरेट होना आवश्यक है।**
10. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा—6 / 2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्य ालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय हैं।
11. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशाान्तर्गत संचालित की जावेगी।

छात्रवृत्ति की दरें—

कक्षा	छात्रावासी रूपये	डेस्कालर रूपये
11—12	400.00 प्रतिमाह	250.00 प्रतिमाह
कुल राशि	4000 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2500 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

<u>आवश्यक दस्तावेज</u>— जाति प्रमाण—पत्र, आय प्रमाण—पत्र, जनआधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

<u>छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि :—</u>

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट／लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720/दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27

कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अनुसुचित जनजाति **(ST)** के विद्यार्थियों को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

पात्रता एवं शर्तेः–

1. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
2. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
3. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृति के पात्र नहीं होंगे।
5. विद्यार्थी के माता–पिता /संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2,50,000 रुपये तक हो।
6. आय प्रमाण–पत्र व जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी किया गया हो। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्षय/विभागाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हो।
7. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
8. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
9. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। आधार बेस्ड पेमेन्ट व्यवस्था लागू होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाते में किया जायेगा।
10. **योजनान्तर्गत विद्यार्थी का एनएसपी एप्प ओटीआर एप्प के माध्यम से फेस ऑथेन्टिकेशन द्वारा ओटीआर नम्बर जनरेट होना आवश्यक है।**
11. राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्य ालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय है।
12. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशाान्तर्गत संचालित की जावेगी।

छात्रवृत्ति की दरें–

कक्षा	छात्रावासी रूपये	डेस्कालर रूपये
11–12	380.00 प्रतिमाह	230.00 प्रतिमाह
कुल राशि	3800 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)	2300 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

<u>आवश्यक दस्तावेज</u>–सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

<u>छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि</u> :–

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720/दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27

केन्द्र प्रवर्तित **OBC, DNT, EBC** वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

पात्रता एवं शर्तेः–

1. विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11/12 में अध्ययनरत हो।
2. विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
3. विद्यार्थी OBC(अन्य पिछड़ा वर्ग) /DNT (DNTवर्ग की सूची संलग्न) /EBC (आर्थिक पिछड़ा वर्ग)का होना चाहिए अर्थात–(OBC/DNT/EBC)वर्ग में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते है। जैसे– बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/ पुत्र , अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वंय, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र(उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।)
4. विद्यार्थी जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख रूपये हो।
5. जाति प्रमाण–पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हुए हो। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी हुए हो।
6. विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए देय होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष अथवा बाद के वर्ष के लिए) छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
7. विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
8. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक अन्य स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
9. योजनान्तर्गत आधार एवं जनाधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य होगा। आधार बेस्ड पेमेन्ट व्यवस्था लागू होने पर छात्रवृति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार सीडेड बैंक खाता में किया जायेगा।
10. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.2014 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति देय हैं।
11. छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देशाान्तर्गत संचालित की जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

<u>छात्रवृत्ति की दरें</u>–

कक्षा	वार्षिक राशि (रूपये में)		
11–12	**Academic Allowance**	**Tuition Fee**	**Total**
कुल राशि	**5000**	**0**	**5000**

<u>आवश्यक दस्तावेज</u> – सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जनआधार, आधार एवं श्रेणी प्रमाण पत्र। संस्था प्रधान इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां को संधारित रखेंगे। (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग 1 के नियम 327 के अनुसार।)

<u>छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की अन्तिम तिथि</u> :–

विवरण	अन्तिम तिथि
संस्था प्रधान द्वारा पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि	**31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025–26 / 40068–7734720 / 2a   दिनांक–यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सैकेण्डरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता।

1 पात्रता

- विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गैप) नही होना चाहिए।
- छात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।
- छात्र के माता–पिता / अभिभावक / संरक्षक आयकर दाता न हो।
- राजकीय छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों को इस योजना में लाभ देय नही होगा।
- छात्र राजकीय विद्यालय में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।
- 10 वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को 11 वी कक्षा एवं 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत रहकर 11 वीं कक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तो कक्षा 12 वीं में अध्ययन के दौरान राशि देय होगी।

2 देय लाभ

- बोर्ड कक्षा में जो छात्र प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत) से उत्तीर्ण होते है उन्हें 350 /– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु 3500 /– रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा।

3. आवश्यक दस्तावेज

1. जाति प्रमाणपत्र।
2. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।
3. माता–पिता / पति / अभिभावक / संरक्षक का आयकर दाता नही होने बाबत स्वंय का आय घोषणा पत्र।
4. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
5. कक्षा 10 वीं की अंकतालिका।

4. तिथि विवरण

संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि – **31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 40068—7734720 / 2a दिनांक—यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27

जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।

1.	पात्रता	• छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो। • छात्रा राजकीय विद्यालय में 11वीं व 12 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। • छात्रा अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित हो। • छात्रा के माता—पिता / अभिभावक / संरक्षक / पति आयकर दाता न हो। • जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा।
2	देय लाभ	• जनजाति छात्राए जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हो उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु 350 / — रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु 3500 / — रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा।
3.	आवश्यक दस्तावेज	1. जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 2. माता—पिता / पति / अभिभावक / संरक्षक का आयकर दाता नही होने बाबत स्वंय का आय घोषणा पत्र। 3. मूल निवासी प्रमाण—पत्र।
4	तिथि विवरण	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि **31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720/2a   दिनांक–यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2026–27

प्रतिभावान सहरिया छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति (बोर्ड परीक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर)

1 पात्रता

- छात्र राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- छात्र राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिये।
- छात्र के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
- जो छात्र सरकार द्वारा संचालित आवासिय विद्यालय/छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड होने चाहिए।
- राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

2 देय लाभ

- प्रति छात्र को 6000/– रू इस प्रकार कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किसी एक वर्ष में कुल राशि रूपयें 6000/–रू. प्रोत्साहन राशि के रूप मे देना।

3 आवश्यक दस्तावेज

1. छात्र के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा–पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।
2. छात्र का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
3. छात्र की बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका की प्रति।
4. जाति प्रमाणपत्र।
5. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।
6. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।

4. तिथि विवरण — संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएें ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025—26/40068—7734720/2a   दिनांक—यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27

सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5 तक)

1	योजना का नाम एवं क्षेत्र	बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)
2	योजना का उद्देश्य	सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। उन सहरिया परिवारों के छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे कि उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।
3	परिभाषा	कक्षा 1 से 5 तक के जनजाति सहरिया छात्र—छात्राओं को स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4	पात्रता	1. ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो बारां जिले के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो। 2. बांरा जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो। 3. छात्र/छात्रा के माता—पिता /अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता ना हो।
5	देय लाभ	बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएं को कक्षा 1 से 5 तक 1000 रू. प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष।
6	आवश्यक दस्तावेज	1. जाति प्रमाणपत्र। 2. मूल निवासी प्रमाण—पत्र। 3. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 4 नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र
7.	तिथि विवरण	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21810881
M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 40068—7734720 / 2a दिनांक—यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2026—27

सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)

1	योजना का नाम एवं क्षेत्र	बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)
2	योजना का उद्देश्य	सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे सहरिया छात्र / छात्राएं जो घर से राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत है उनको स्टेशनरी एवं पौशाक क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे उनके परिवार में उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े।
3	परिभाषा	ऐसे सहरिया आदिम जनजाति के छात्र / छात्राएं जो कक्षा 6 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो जिन्हें छात्रावास में निवास करने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता हो।
4	देय लाभ	बारां जिले के सहरिया छात्र / छात्राएं को कक्षा 6 से 12 वीं तक 2500 रू. प्रति छात्र / छात्रा प्रति वर्ष।
5	पात्रता	1. ऐसे सहरिया छात्र / छात्राएं जो बारां जिले के किसी भी राजकीय विद्यालय में नियमित प्रवेश ले लिया हो / अध्ययनरत हो। 2. वह बांरा जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो। 3. विभागीय किसी भी आवासीय विद्यालय / आश्रम छात्रावास में निवासरत ना हो। 4. छात्र / छात्रा के माता—पिता / अभिभावक / संरक्षक आयकर दाता ना हो।
6	आवश्यक दस्तावेज	1. जाति प्रमाणपत्र। 2. मूल निवासी प्रमाण—पत्र। 3.आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 4. बैंक पास बुक। 5..नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र
7	तिथि विवरण	संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि **31.07.2026**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.04.29 08:09:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21810881

M e-Sign

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/छाप्रोप्र/ए/सीएसएस/एससी 9–10/2025–26/15 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक

विषयः– केंद्र प्रवर्तित कल्याण श्रेणी की छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ मेरिट आधारित छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के संबंध में।

प्रसंगः– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का पत्र दिनांक 19.06.2026

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं को मेरिट आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं यथाः NMMSS/INSPIRE AWARD व कल्याण आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं यथाः SC,ST,OBC 9-12 इन दो श्रेणियों में विभाजित गया है। पत्र की पालना में निर्देशित किया जाता है कि केंद्र प्रवर्तित छात्रवृति योजना का पात्र विद्यार्थी किसी केंद्र प्रवर्तित या केंद्रीय योजना में नियमानुसार पात्र है तो वह दोनों योजनाओं का लाभ ले सकता है।

उक्तानुसार केवल केंद्र की छात्रवृति योजनाओं हेतु निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

प्रतिलिपि अग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. शासन उपसचिव स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref No.: 23036805
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.06.29 21:36:09 IST
Reason: Approved

राजकीय विद्यालयों में एनएसपी पोर्टल(एनएमएमएसएस) पर विद्यालय के नये **HOI(HEAD OF INSTITUTE)** यानी प्रधानाचार्य तथा नये **INO(INSTITUTE NODAL OFFICER)** यानी छात्रवृति प्रभारी/अथवा अन्य विज्ञ कार्मिक को बनाने बाबत प्रारूप–

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) नागौर/डीडवाना–कुचामन (टिक मार्क करे जिसे भेजना है)

विषय– एचओआई व आईएनओ विवरण अद्यतन/चेंज करने बाबत्।

1.UDISE CODE OF SCHOOL:

2.DETAILS OF INO:

1.INO AADHAR NUMBER:

2.INO NAME AS PER AADHAR IN ENGLISH:

3.INO DATE OF BIRTH AS PER AADHAR:

4.INO GENDER:

5.INO MOBILE NO. LINKED WITH AADHAR:

3.DETAILS OF HOI:

1.HOI AADHAR NUMBER:

2.HOI NAME AS PER AADHAR IN ENGLISH:

3.HOI DATE OF BIRTH AS PER AADHAR:

4.HOI GENDER:

5.HOI MOBILE NO. LINKED WITH AADHAR

PREVIOUS INO HOI NAME:

बदलाव करने का कारण–..
....

पीईईओ/प्रधानाचार्य
सील व हस्ताक्षर

नोट–1.एचओआई व आईएनओ का कार्यग्रहण आदेश इस पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट–2.यदि दोनों में बदलाव करना है तो ही दोनो की डिटेल्स भिजवाये,अन्यथा जिसका बदलाव करना है उसी की डिटेल्स भिजवाये और दूसरे में N.A. कर दे।
3.ये सुविधा इसलिये प्रदान की गई है–यदि पूर्व प्रधानाचार्य का स्थानांतरण हो गया,या पूर्व प्रधानाचार्य कार्यवाहक थे,यदि पूर्व छात्रवृति प्रभारी का स्थानांतरण हो गया अथवा नये छात्रवृति प्रभारी बनाये गये या अन्य कोई तकनीकी समस्या के चलते।
4.नाम,मोबाईल नं.,जन्मतिथि,जेंडर ,आधार नं. सभी आधार कार्ड के अनुरूप अंग्रेजी भाषा में ही होने चाहिए अन्यथा पोर्टल पर जोड़ा नही जा सकेगा।
5.अगर एनएमएमएस छात्रवृति के लिये विद्यालय से पहली बार ही आवेदन हो रहा है तो विद्यालय को एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय से उसका वैरिफिकेशन किया जायेगा।

User Manual

for

INO and HoI to perform Biometric Authentication

using

Aadhar-based Face Authentication (FaceAuth)

Version 1.0

Operational Steps for INO and HoI to perform Biometric Authentication using Aadhar-based Face Authentication (FaceAuth)

Note: In order to complete Biometric Authentication for institutes, First INO, and then HoI would complete Aadhar-based Face Authentication.

A. Procedural Steps (in case of INO and HoI of New Institute who are in the process of Institute's KYC Registration and have Form reference No.)

❖ Processing at the level of INSTITIUE NODAL OFFICER (INO) user

<u>**Step 1.**</u> At the first step INO user need to search and install the **AadhaarFaceRD** and **NSP FaceAuth app** available on **Google Play store (only available for android devices)**, on their android-based devices with camera (refer <u>Screen 1</u>).

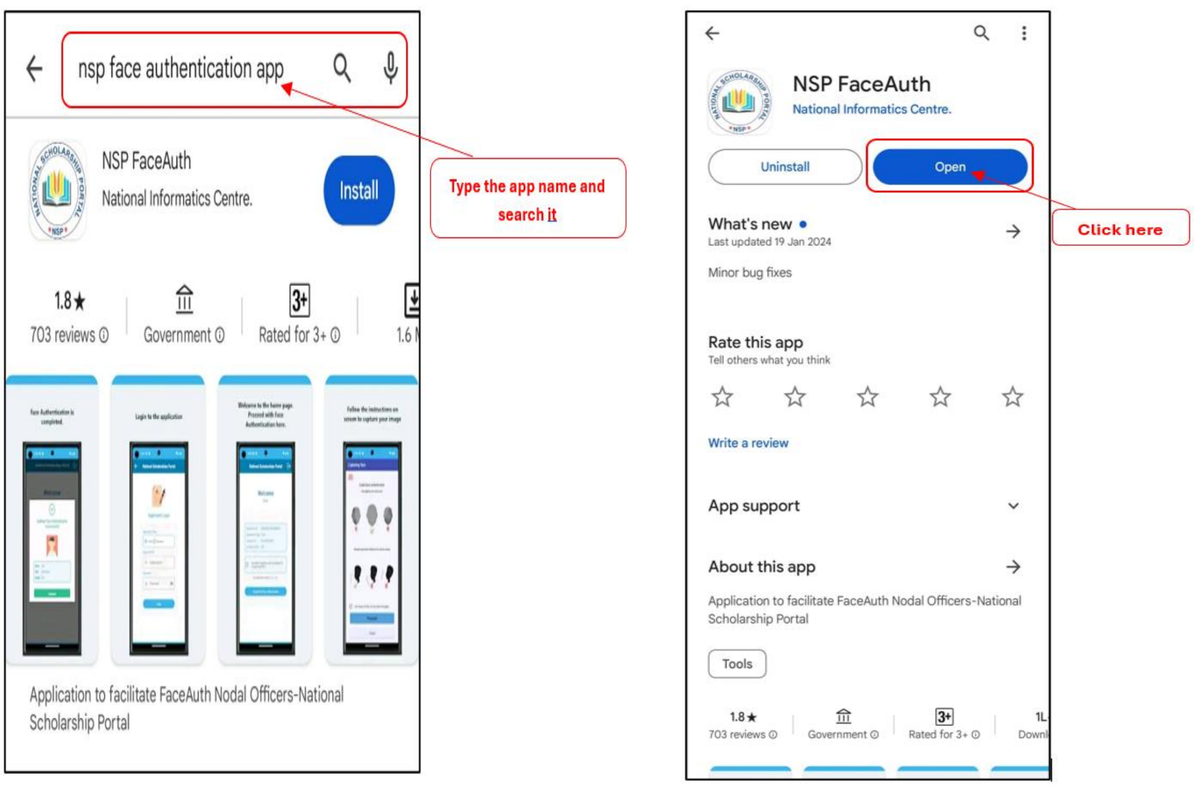

<u>Screen 1</u>

Step 2. Once the app is opened, its home screen gets appeared (refer Screen 2). Click on NEW INSTITUTE WITH FORM REFERENCE NO.

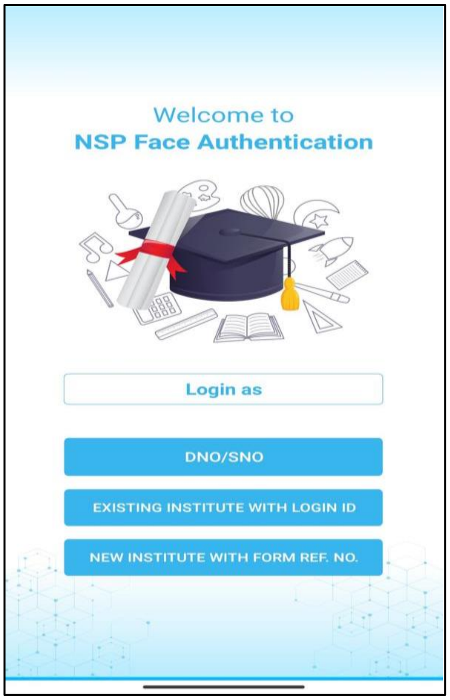

Screen 2

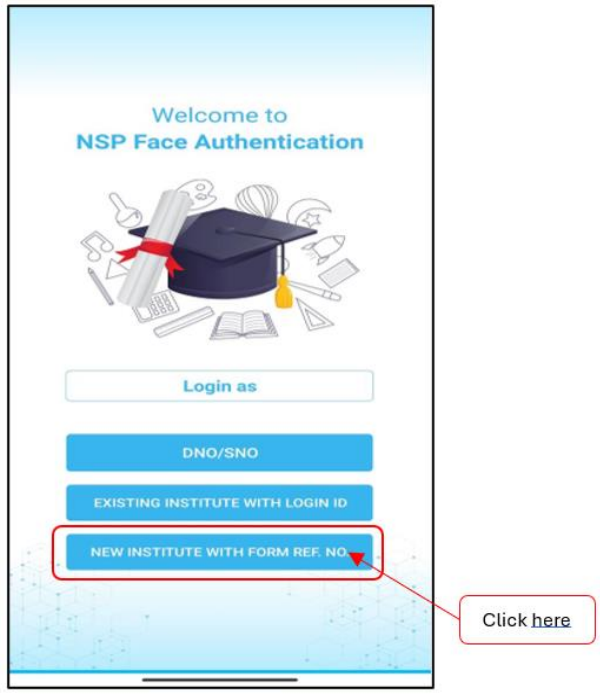

Screen 3

Step 3. Next click on **INO** as user under "I am" field (refer **1** in the Screen 4).

Screen 4

Step 4. Next, enter the Form Number (KYC Registration Number) under the "**Institute Registration Form No.**" field (refer 2 in the Screen 5) and then click on "**Get OTP**" button (refer 3 in the Screen 5).

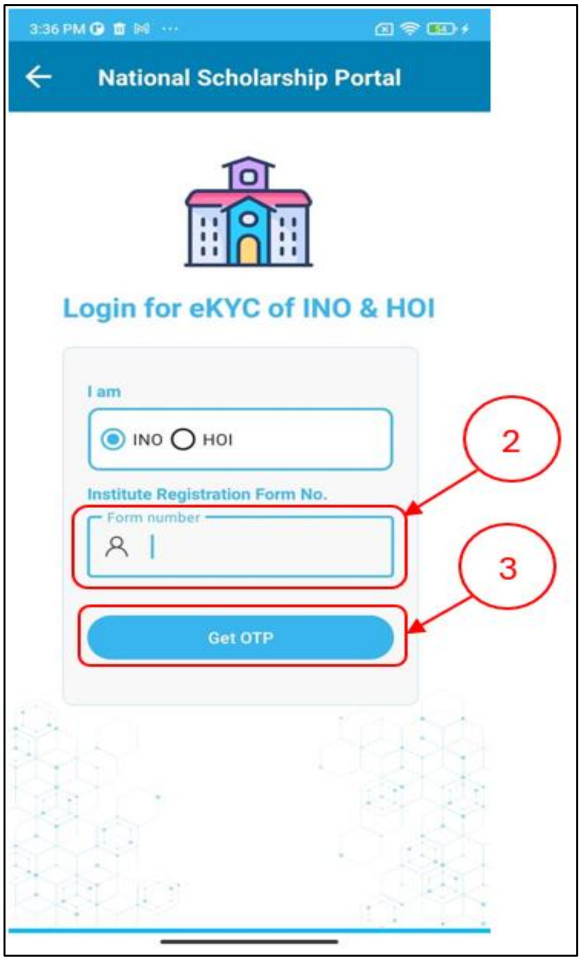

Screen 5

Step 5. Next, INO clicks on **"Agree"** button to provide the consent to use Aadhaar for completing Aadhaar-based FaceAuth process (refer Screen 6).

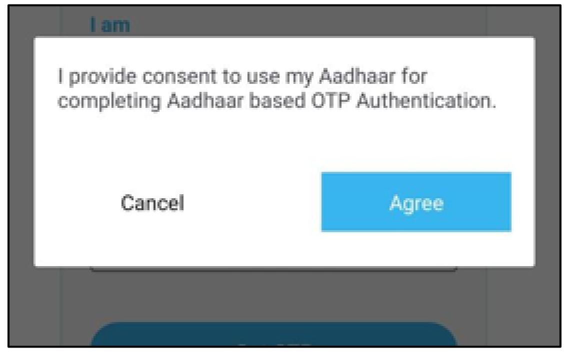

Screen 6

Step 6. Next, INO enters the **6 digits OTP** received on their mobile number registered with Aadhaar No. and then clicks on **"Login button"** (refer Screen 7).

Screen 7

Step 7. After successful login, the INO user receives the Screen 8 where the User ID, User Type i.e. INO and INO's Aadhaar No. (in masked form) gets visible. After verifying the details, INO clicks on **"Proceed for INO's Face Authentication"** button.

Screen 8

Step 8. Next, Screen 9 appears where INO reads the **consent statement** and if agrees, clicks on **"Agree"** button.

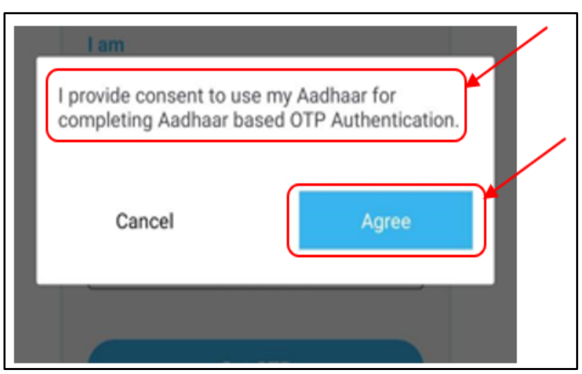

Screen 9

Step 9. Next, INO will receive the Screen 10 where the INO's face gets authenticated by the INO's mobile phone's camera with their Aadhar data.

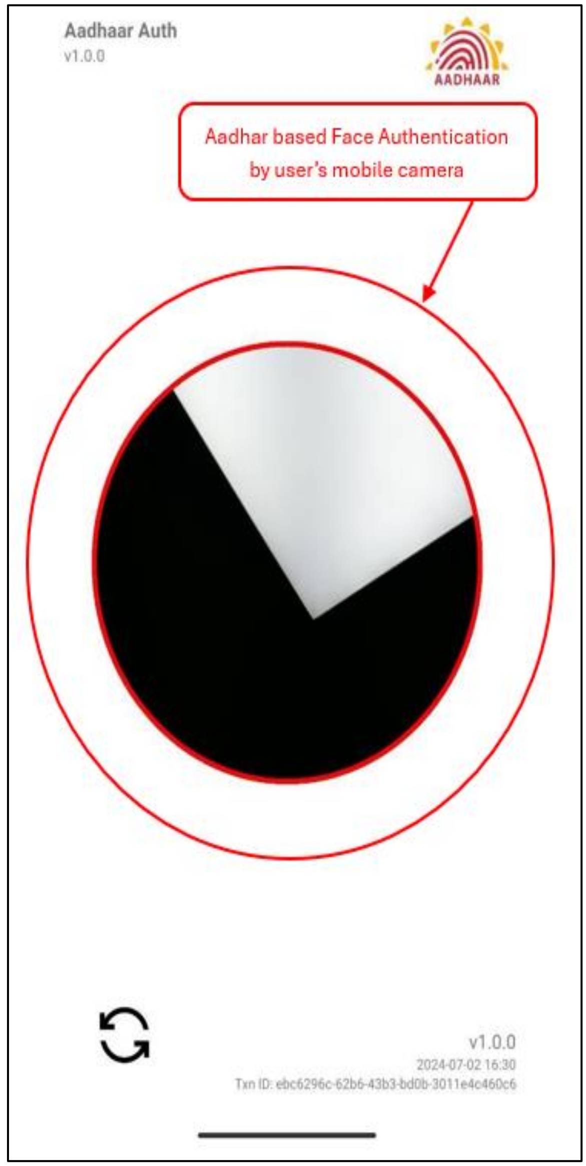

Screen 10

Step 10. Once its authenticated, the user will receive the Screen 11 showing the successful completion of **Aadhar based Face Authentication**.

Screen 11

❖ Processing at the level of HEAD OF INSTITUTE (HoI) user

HoI will follow the same procedural steps for completion of Aadhaar-based FaceAuth similar to INO as explained above from Screen no. 1 to 11, except the Screen No. 4 where HoI needs to select the **"HoI"** as user under "I am" field.

B. Procedural Steps (in case of INO and HoI of Existing Institute who have Login ID & Password)

In this process following cases might occur:

Case I. INO is changed but HoI not changed OR INO and HoI both changed during the same academic year

In this case firstly, INO needs to perform Aadhaar based FaceAuth process and then similarly, HoI would complete the FacAuth process.

❖ Processing at the level of INSTITIUE NODAL OFFICER (INO) user

Step 1. At the first step INO user need to search and install the NSP FaceAuth app available on Google Play store (only available for android devices), on their android-based devices with camera (refer Screen 12).

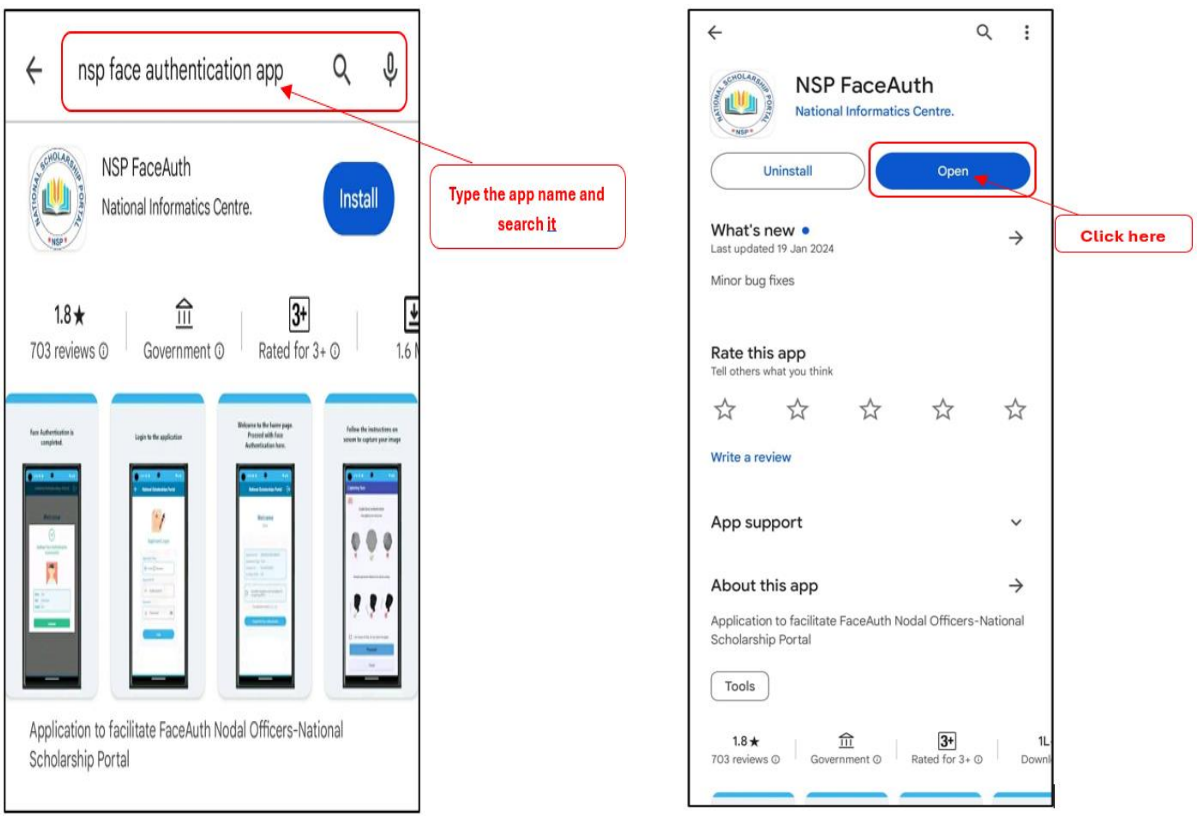

Screen 12

Step 2. Once the app is opened, its home screen gets appeared (refer Screen 13). Click on EXISTING INSTITUTE WITH LOGIN ID.

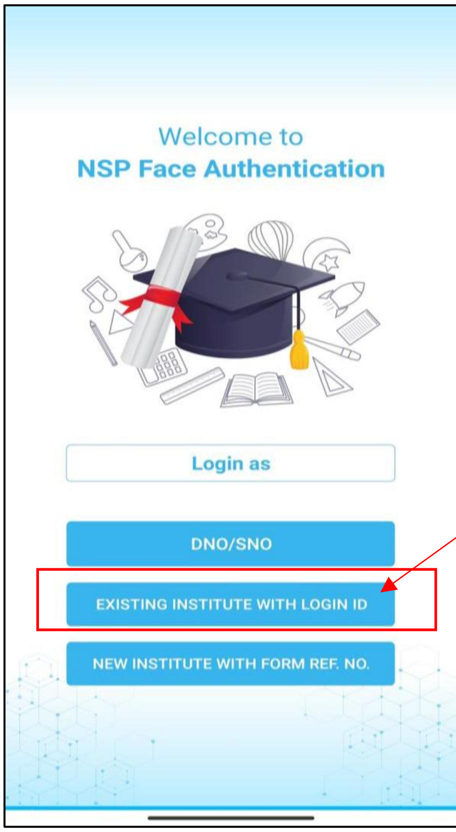

Screen 13

Step 3. Next click on **"INO"** as user under "I am" field (refer **1** in the Screen 14).

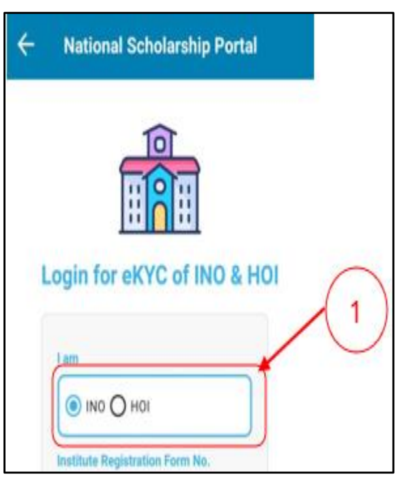

Screen 14

Step 4. Next, INO inputs their User ID and Password and clicks on **"Login"** button.

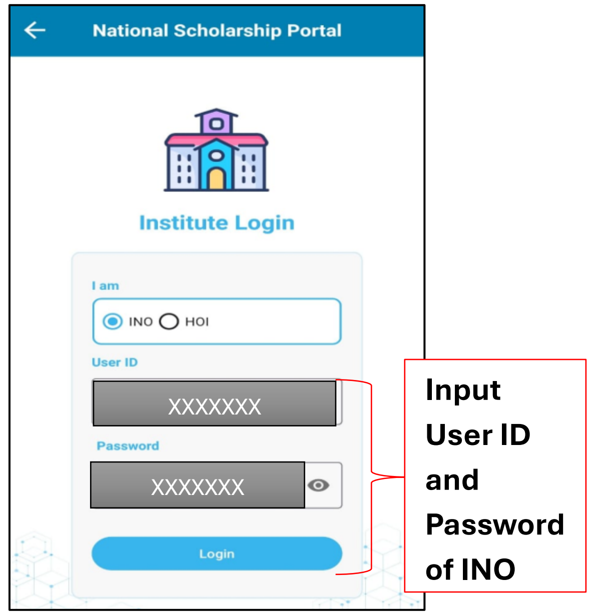

Screen 15

Step 5. After successful login, the INO user receives the Screen 16 where the User ID, User Type i.e. INO and INO's Aadhaar No. (in masked form) gets visible. After verifying the details, INO clicks on **"Proceed for INO's Face Authentication"** button.

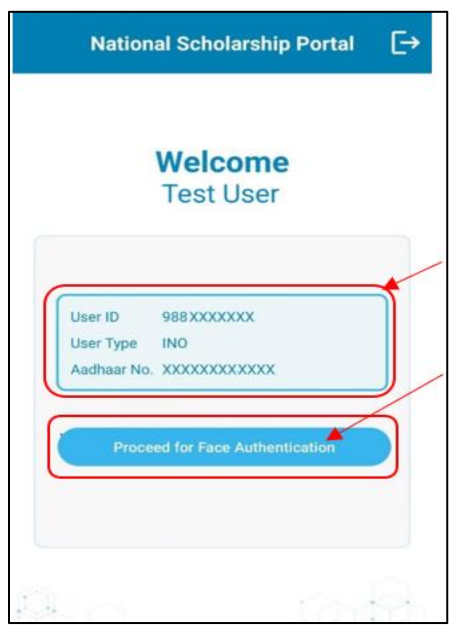

Screen 16

<u>Step 6.</u> Next, <u>Screen 17</u> appears where INO reads the **consent statement** and if agrees, clicks on **"Agree"** button.

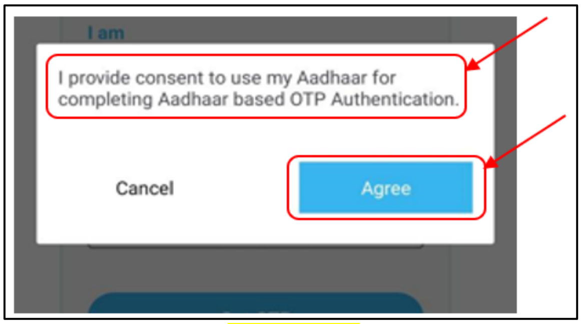

Screen 17

<u>Step 7.</u> Next, INO will receive the <u>Screen 18</u> where the INO's face gets authenticated by the INO's mobile phone's camera with their Aadhar data.

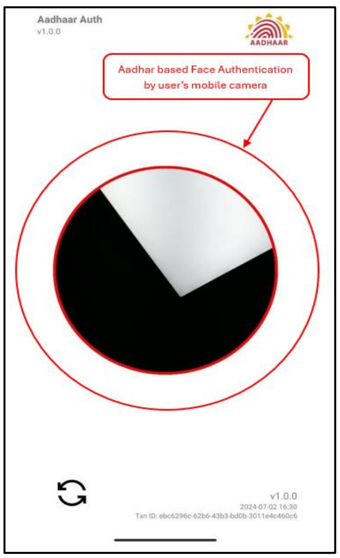

Screen 18

<u>Step 8.</u> Once its authenticated, the user will receive the <u>Screen 19</u> showing the successful completion of Aadhar based Face Authentication.

Screen 19

❖ Processing at the level of Head of Institute (HoI) user

HoI will follow the same procedural steps for completion of Aadhaar-based FaceAuth process similar to INO as explained above from <u>Screen no. 12 to 19</u>, except the Screen No. 14 where HoI needs to select the **"HoI"** as user under "<u>I am</u>" field.

Case II. HoI is changed but INO is not changed during the same academic year

In this case, INO would not be needed to perform Aadhaar-based FaceAuth process, **However, HoI would have to complete the same. The procedural steps for HoI's FaceAuth are explained below:**

Step 1 to Step 4: The process would remain same as explained in Screen no. 12 to 15.

Step 5 and further: After successful login, HoI will receive Screen no. 20 where HoI will be needed to verify the INO details (Name and masked Mobile no.). In order to confirm the INO details, HoI would click on **"Confirm" in Screen no. 20** and will further follow the next step as explained in Screen no. 16 to 19.

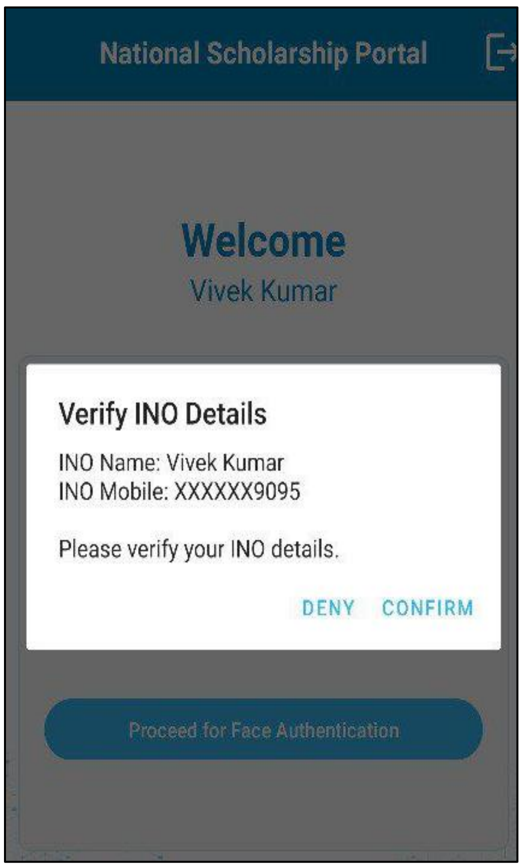

Screen 20

Cont..

However, if HoI clicks on **"Deny" in <u>Screen no. 20,</u>** HoI would receive the Screen no. 21 showing alert message suggesting INO's profile to be updated by DNO level and then HoI would be able to complete FaceAuth process.

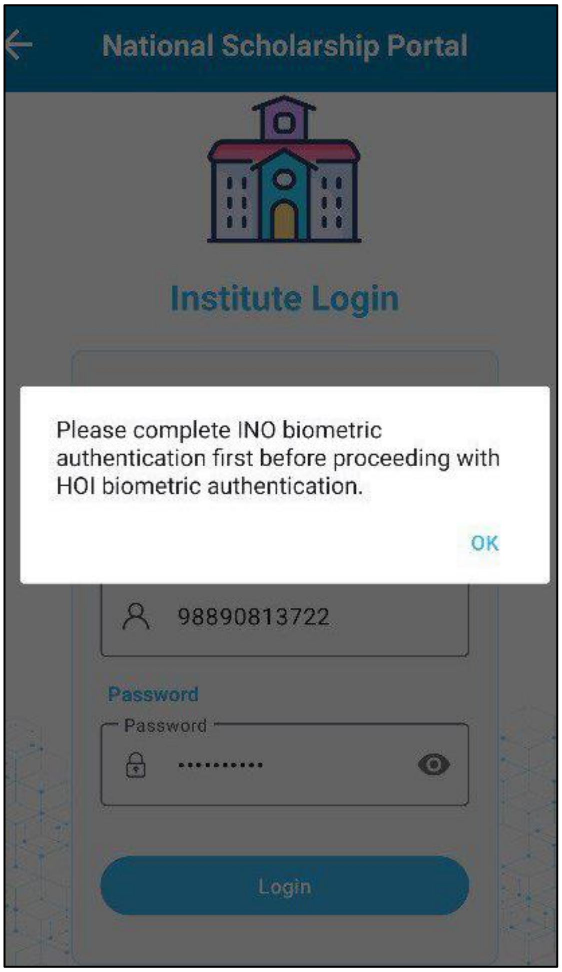

Screen 21

Case III. HoI is going to perform Aadhaar based FaceAuth but INO's Biometric Authentication (BioAuth) is not yet completed

In this case after completing the steps (in <u>Screen no. 12 to 15</u>) HoI would receive the <u>Screen no. 22</u> showing alert message suggesting **to complete INO's BioAuth first and then HoI would be able to complete BioAuth process.**

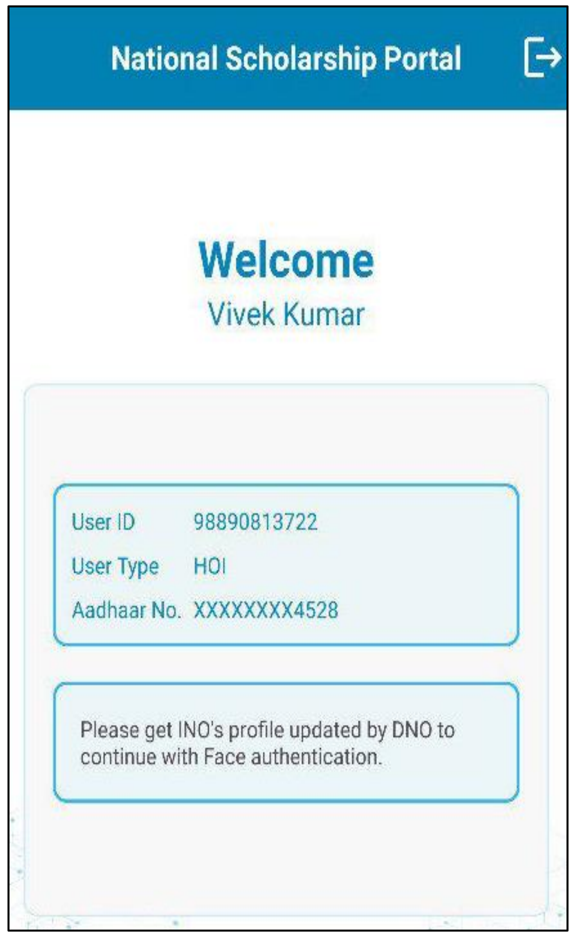

Screen 22

****

National Scholarship Portal

Frequently Asked Questions (FAQ) on One-Time Registration

Version 1.4

2024

Frequently Asked Questions (FAQ) on One-Time Registration

1. **What is One-Time Registration (OTR)?**

   One-Time Registration (OTR) is a unique number provided to streamline the registration process. Users register with their mobile number and complete e-KYC (electronic Know Your Customer). Once this process is complete, an OTR number is generated and sent to the user's phone. This unique number allows users to log in and access various services without needing to re-register. The OTR number is generated once and remains valid throughout the student's academic career.

2. **What are the benefits of One-Time Registration?**

   One-Time Registration (OTR) offers several advantages:
   - It helps in streamlining the registration process as OTR simplifies the registration process by providing users with a unique number after completing e-KYC. This eliminates the need for repetitive registration steps across different services.
   - It is convenient for the users as they only need to register once with their mobile number and complete e-KYC to receive their OTR number. This reduces the hassle of filling out multiple registration forms for various services.
   - The OTR number is generated once and remains valid throughout the student's academic career, providing a consistent and stable identifier for all related services.
   - By eliminating the need for repetitive registrations, OTR enhances the overall user experience, making it more convenient for traceability and tracking to access multiple services.

3. **Which portals typically use One-Time Registration?**

   The NSP portal and other state portals may implement One-Time Registration (OTR) to simplify the registration process and ensure de-duplication.

4. **Is One-Time Registration mandatory for all services on NSP?**

   Yes, One-Time Registration is mandatory for all services on NSP. It serves as the username for logging in and is also required to complete the face authentication process.

5. **What documents/information do I need to have ready to create my OTR?**

   To create your OTR, student shall have:
   Required Documents/Information:
   I. Active mobile number
   II. Aadhaar number
   III. Mobile number linked with Aadhaar

IV. NPCI Seeding status (desired)

If you don't have an Aadhaar:

I. Active mobile number
II. Aadhaar enrolment slip or Parent's/Legal Guardian’s Aadhaar (in case student is minor)
III. Mobile number linked with EID or Parent's Aadhaar
IV. NPCI Seeding status (desired)

6. Can I update my information after completing the One-Time Registration (OTR) process?

Yes, you can update most of your information, including Aadhaar-related details and other personal information. This ensures that your profile remains accurate and up to date. If your Aadhaar information changes, you will need to perform e-KYC and face authentication again to update your details.

7. How frequently should I update my One-Time Registration information?

It's advisable to review and update your OTR information periodically, especially if there are changes to your personal details or contact information. Keeping your profile up to date ensures accuracy and enhances the effectiveness of the OTR system.

8. Do I need to remember multiple application IDs with One-Time Registration?

No, it is not required nor needed. Using the OTR number, you can retrieve all application IDs linked to it. Each candidate has a unique OTR, and all applications are linked to this single number. Additionally, all the application statuses will be visible, simplifying the process further.

9. Can I use One-Time Registration across different devices?

Yes, OTR is designed to be accessible from various devices such as computers, smartphones, and tablets. As long as you have an internet connection, you can access your registered account from anywhere using the OTR No.

10. Is there a fee associated with One-Time Registration?

No, One-Time Registration is free on NSP and its processes. It is a unique number based on your e-KYC details and registration mobile number. It is used to log into the application and does not require any payment.

11. What is a Reference no?

A Reference no is assigned when users provide their own Aadhaar or their guardian's Aadhaar. It is sent to the registered mobile number to complete face authentication and to generate OTR number.

12. What are the next steps after obtaining a Reference no?

Once you have a Reference no, log in to the Face Auth app and complete the face authentication process. After successfully completing face authentication, you will receive your OTR number.

13. How long will my Reference no be valid?

Your Reference no will be valid until you complete the face authentication and KYC process. After this, your OTR will remain valid.

14. What should I do if I forget my Reference no?

If you forget your Reference no, you can retrieve it using the "Forgot Reference no" option. You will need to provide the Aadhaar number used during your e-KYC to recover the Reference no.

15. What happens if I forget my One-Time Registration credentials?

If you forget your OTR number, you can retrieve it by selecting the "Forgot OTR Number" option. To recover your OTR number, you will need to provide the Aadhaar number used during your e-KYC process.

16. I have generated my reference no. How to complete my face- authentication and generate OTR?

Face-authentication is mandatory for generation of OTR. NSP has launched the Mobile App for android devices. Student is required to follow below steps for face-authentication and generation of OTR:

1) Download and install the [Face RD App] from Google Play Store.
(link: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.facerd)

2) Download and install NSP OTR App from Google Play Store.
(link: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.scholarships.nspotr&pli=1)

NSP OTR App

3) Complete the face-authentication using option "**eKYC with FaceAuth**" on NSP OTR Mobile App.

17. I am facing difficulty while performing face-authentication

Successful face capturing requires proper positioning and good lighting condition. To know more about the Aadhaar Face Authentication please visit **FAQ no. 21**. **(Link:**

https://uidai.gov.in/en/contact-support/have-any-question/303-faqs/authentication.html)

18. What should I do if I want to change mobile number registered in my OTR/Reference no?

Mobile number registered with OTR /Reference no can be changed after successful Aadhar based OTP authentication. Once the student completes Aadhar based OTP Authentication successfully, the system will prompt them to enter new mobile number. After OTP verification of the new mobile no, the same will get registered in OTR/Reference no.

19. What should I do if I haven't received the password after completing my OTR registration?

The student should visit student corner on NSP and exercise "Forget Password" option available under OTR login. The same option can also be used to reset the existing password.

20. What should I do if my Aadhar is already seeded with the bank account but on OTR it is showing "Not seeded"?

The student is advised to click on "Aadhar Seeding -> Check it now" option available in the "Profile Details" section under OTR login.

21. How can I update my profile details?

Student can update the profile details by log in to the OTR using her credentials. Once logged in, navigate to the "Update Profile" section where you can update the required details and save the changes.

22. I have registered OTR using my Parent's/Legal guardian's Aadhaar. However, there is a typographical mistake in my name. How can I correct it?

Student can login into the OTR using her credentials. Once logged in, navigate to the "Update Profile" section and update the Applicant Name.

23. How can I change my email ID in my OTR?

Student shall login into the OTR using her credentials. Please click on the update email option. You can add email id through this option.

24. What are the benefits of verified email in OTR? How can I verify my email ID?

The verified email in OTR ensure Student's to receive important notifications and updates, and it enhances the security of the student's account. Student can verify her email by log in to the NSP portal and navigate to "Update Email" section and can add email id and verify the same through received OTP.

25. I have corrected my date of birth on NSP portal. During correction, portal has given me warning, "Kind Attn!! On attaining the age of 18 years, updating Self Aadhaar

in OTR is required". Also, after successful updation of my profile, my e-KYC status is displayed as "pending". What am I supposed to do now?

The warning shown by portal while correcting the date of birth was to inform the student that she is major as per his entered date of birth and therefore student is required to update her Aadhaar in her OTR profile and her eKYC status is pending.

26. I have received SMS as "Dear Student, it is mandatory to update self-Aadhaar details on attaining the age of 18 years. Please ensure to update your Aadhaar details if it is not done yet against your OTR No. XXXXXXX. NSP Team" and now in my profile e-KYC status is displayed as pending". What am I supposed to do now?

Since Student is major now her eKYC is required and that is why Student eKYC status is shown as pending. Now, student needs to perform her eKYC (FaceAuth).

27. I have received SMS as "Dear Student, you have generated your OTR number using your Aadhaar Enrollment (EID) number. It is required to update your Aadhaar details on NSP website within one month failing which your application may not be processed. NSP Portal". What am I supposed to do now?

The student has generated her OTR using her EID. Student is required to submit her Aadhaar details within one month of generation of OTR failing which the OTR may be suspended, or application processing may be stopped. Please submit your Aadhaar and perform your eKYC (FaceAuth) so that OTR shall not be suspended, and application processing shall not be stopped.

28. I have updated my details in Aadhaar. How can I update my details in OTR.?

Student can update the Aadhaar details in OTR through "refresh e-KYC" option available in his profile.

29. What is "login with Aadhaar" option in OTR Login window? How can I login in OTR using Aadhaar no?

This option offers alternate method to login into OTR using Aadhaar. Select "Login with Aadhaar" option. Enter your Aadhaar no. and the OTP received on your Aadhaar linked mobile no to login.

30. Are NSP services also available at CSC?

Yes, Student can access NSP services through the CSC. You can perform biometric authentication to generate OTR and fill your scholarship application form at CSC Centre.

31. What are the charges for NSP services at CSC?

The total charges for the entire activity per candidate (including generation of Reference number, biometric -authentication, generation of One-Time Registration (OTR) number, and filing of complete application form of the candidate) is Rs 30.00 (inclusive of all applicable taxes, etc.)

32. What are the prerequisites for generating OTR at CSC centre

Following are the prerequisites required at CSC centre:

1) Active mobile number
2) Aadhaar number
3) Physical presence of Student/Parent/Legal Guardian to perform biometric based Aadhaar authentication
4) NPCI Seeding status (desired)

33. How can I find the nearby CSC?

To find the nearby CSC, visit this link: **https://locator.csccloud.in/**

ओ.टी.आर पंजीकरण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. एकल अवसरीय पंजीकरण (ओ.टी.आर) क्या है?

एकल अवसरीय पंजीकरण (ओ.टी.आर) एक अद्वितीय नंबर है जो पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रदान किया जाता है। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करते हैं और ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) पूरा करते हैं। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो एक ओ.टी.आर नंबर जेनरेट होता है और उपयोगकर्ता के फोन पर भेजा जाता है। यह अद्वितीय नंबर उपयोगकर्ताओं को पुन: पंजीकरण की आवश्यकता के बिना लॉग इन करने और विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। ओ.टी.आर नंबर एक बार जेनरेट होता है और छात्र के शैक्षणिक करियर के दौरान वैध रहता है।

2. ओ.टी.आर पंजीकरण के क्या लाभ हैं?

ओ.टी.आर पंजीकरण (ओ.टी.आर) कई लाभ प्रदान करता है:

- यह पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है क्योंकि ओ.टी.आर ई-केवाईसी पूरा करने के बाद उपयोगकर्ताओं को एक अद्वितीय नंबर प्रदान करके पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। इससे विभिन्न सेवाओं में बार-बार पंजीकरण चरणों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- यह उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक है क्योंकि उन्हें अपना ओ.टी.आर नंबर प्राप्त करने के लिए केवल एक बार अपने मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा और ई-केवाईसी पूरा करना होगा। इससे विभिन्न सेवाओं के लिए एकाधिक पंजीकरण फॉर्म भरने की परेशानी कम हो जाती है।
- ओ.टी.आर नंबर एक बार जेनरेट होता है और छात्र के शैक्षणिक करियर के दौरान वैध रहता है, जो सभी संबंधित सेवाओं के लिए एक सुसंगत और स्थिर पहचानकर्ता प्रदान करता है।
- दोहराए जाने वाले पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करके, ओ.टी.आर समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है, जिससे कई सेवाओं तक पहुंचने के लिए ट्रेसबिलिटी और ट्रैकिंग को और अधिक सुविधाजनक बना दिया जाता है।

3. कौन से पोर्टल आमतौर पर ओ.टी.आर पंजीकरण का उपयोग करते हैं?

एनएसपी पोर्टल (NSP) और अन्य राज्य पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और डिडुप्लीकेशन सुनिश्चित करने के लिए वन-टाइम पंजीकरण (ओ.टी.आर) लागू कर सकते हैं।

4. क्या एनएसपी पर सभी सेवाओं के लिए ओ.टी.आर पंजीकरण अनिवार्य है?
हां, एनएसपी पर सभी सेवाओं के लिए ओ.टी.आर पंजीकरण अनिवार्य है। यह लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता नाम के रूप में कार्य करता है और चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है।

5. अपना ओ.टी.आर बनाने के लिए मुझे कौन से दस्तावेज़/जानकारी तैयार रखनी होगी?

अपना ओ.टी.आर बनाने के लिए, आपके पास निम्नलिखित होना चाहिए:
आवश्यक दस्तावेज़/जानकारी:

I. सक्रिय मोबाइल नंबर

II. आधार नंबर
III. आधार से लिंक मोबाइल नंबर.
IV. एनपीसीआई स्थिति (वांछित)

यदि आपके पास आधार नहीं है/या यदि आप नाबालिग हैं

I. सक्रिय मोबाइल नंबर
II. आधार नामांकन पर्ची या माता-पिता का आधार
III. ईआईडी या माता-पिता के आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
IV. एनपीसीआई स्थिति (वांछित)

6. क्या मैं एकल अवसरीय पंजीकरण (ओ.टी.आर) प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपनी जानकारी अपडेट कर सकता हूं?

हां, आप आधार से संबंधित विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सहित अपनी अधिकांश जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रोफ़ाइल सटीक और अद्यतन बनी रहे। यदि आपकी आधार जानकारी बदल जाती है, तो आपको अपना विवरण अपडेट करने के लिए ई-केवाईसी करने और फिर से प्रमाणीकरण का सामना करने की आवश्यकता होगी।

7. मुझे अपनी वन-टाइम पंजीकरण जानकारी कितनी बार अपडेट करनी चाहिए?

समय-समय पर अपनी ओ.टी.आर जानकारी की समीक्षा और अद्यतन करने की सलाह दी जाती है, खासकर यदि आपके व्यक्तिगत विवरण या संपर्क जानकारी में कोई बदलाव हो। अपनी प्रोफ़ाइल को अद्यतन रखने से सटीकता सुनिश्चित होती है और ओ.टी.आर प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

8. क्या मुझे एक बार के पंजीकरण के साथ एकाधिक आवेदन आईडी याद रखने की आवश्यकता है?

नहीं, इसकी न तो जरूरत है और न ही जरूरत. ओ.टी.आर नंबर का उपयोग करके, आप इससे जुड़ी सभी एप्लिकेशन आईडी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के पास एक अद्वितीय ओ.टी.आर होता है, और सभी आवेदन इस एकल नंबर से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी आवेदन स्थितियाँ दिखाई देंगी, जिससे प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।

9. क्या मैं विभिन्न उपकरणों पर ओ.टी.आर पंजीकरण का उपयोग कर सकता हूँ?

हां, ओ.टी.आर को कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे विभिन्न उपकरणों से पहुंच योग्य बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप ओ.टी.आर नंबर का उपयोग करके कहीं से भी अपने पंजीकृत खाते तक पहुंच सकते हैं।

10. क्या ओ.टी.आर पंजीकरण के साथ कोई शुल्क जुड़ा है?

नहीं, एनएसपी और इसकी प्रक्रियाओं पर ओ.टी.आर पंजीकरण निःशुल्क है। यह आपके ई-केवाईसी विवरण और पंजीकरण मोबाइल नंबर पर आधारित एक अद्वितीय नंबर है। इसका उपयोग एप्लिकेशन में लॉग इन करने के लिए किया जाता है और इसके लिए किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।

11. संदर्भ संख्या क्या है?

जब उपयोगकर्ता अपना आधार या अपने अभिभावक का आधार प्रदान करते हैं तो एक संदर्भ संख्या निर्दिष्ट की जाती है। इसे चेहरे का प्रमाणीकरण पूरा करने और ओ.टी.आर नंबर उत्पन्न करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।

12. संदर्भ संख्या प्राप्त करने के बाद अगले चरण क्या हैं?

एक बार जब आपके पास संदर्भ संख्या हो, तो फेस ऑथ ऐप में लॉग इन करें और फेस प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करें। फेस ऑथेंटिकेशन सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, आपको अपना ओ.टी.आर नंबर प्राप्त होगा।

13. मेरा रेफरेंस नंबर कब तक वैध रहेगा?

आपका रेफरेंस नंबर तब तक मान्य रहेगा जब तक आप चेहरा प्रमाणीकरण और केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते। इसके बाद आपका OTR वैध रहेगा.

14. यदि मैं अपना संदर्भ क्रमांक भूल जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आप अपना संदर्भ संख्या भूल जाते हैं, तो आप "संदर्भ संख्या भूल गए" विकल्प का उपयोग करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आपको संदर्भ संख्या पुनर्प्राप्त करने के लिए अपने ई-केवाईसी के दौरान उपयोग किया गया आधार नंबर प्रदान करना होगा।

15. यदि मैं अपना ओ.टी.आर पंजीकरण क्रेडेंशियल भूल जाऊं तो क्या होगा?

यदि आप अपना ओ.टी.आर नंबर भूल जाते हैं, तो आप "भूल गए ओ.टी.आर नंबर" विकल्प का चयन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अपना ओ.टी.आर नंबर पुनर्प्राप्त करने के लिए, आपको अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया गया आधार नंबर प्रदान करना होगा।

16. मैंने अपना संदर्भ संख्या प्राप्त कर ली है। मैं चेहरा-प्रमाणीकरण कैसे पूरा करूं और ओटीआर कैसे प्राप्त करूं?

ओटीआर प्राप्त करने के लिए चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य है। एनएसपी ने एनड्राइड उपकरणों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। छात्र को चेहरा प्रमाणीकरण और ओटीआर बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना आवश्यक है:

1) गूगल प्ले स्टोर से Face RD App ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
2) (link: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.facerd)
3) गूगल प्ले स्टोर से एनएसपी ओटीआर ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
4) (link: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.scholarships.nspotr&pli=1)

NSP OTR App

5) एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप पर "eKYC with FaceAuth" विकल्प का उपयोग करके फेस-ऑथेंटिकेशन पूरा करें।

17. मुझे चेहरा-प्रमाणीकरण करते समय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

सफल चेहरा-प्रमाणीकरण के लिए पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता होती है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 21 पर जाएं।
(Link: https://uidai.gov.in/en/contact-support/have-any-question/303-faqs/authentication.html)

18. यदि मैं अपने ओटीआर/संदर्भ संख्या में पंजीकृत मोबाइल नंबर बदलना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?

ओटीआर/संदर्भ संख्या के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर को **आधार (Aadhaar)** आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के बाद बदला जा सकता है। एक बार जब छात्र आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, तो सिस्टम उन्हें नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए आवश्यक विकल्प देगा। मोबाइल नंबर के ओटीपी सत्यापन के बाद, वह ओटीआर/संदर्भ संख्या में पंजीकृत हो जाएगा।

19. यदि मुझे अपना ओटीआर पंजीकरण पूरा करने के बाद पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए?

छात्र को एनएसपी पर छात्र कॉर्नर पर जाना चाहिए और ओटीआर लॉगिन के तहत उपलब्ध "पासवर्ड भूल गए?" विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। मौजूदा पासवर्ड को रीसेट करने के लिए भी इसी विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

20. यदि मेरा आधार पहले से ही बैंक खाते से जुड़ा हुआ है लेकिन ओटीआर पर यह "सीडेड नहीं" दिखा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए?

ओटीआर लॉगिन के तहत "प्रोफाइल विवरण" अनुभाग में उपलब्ध "आधार सीडिंग-> अभी चैक करें" विकल्प पर क्लिक करें।

21. मैं अपना प्रोफ़ाइल विवरण कैसे अपडेट कर सकता हूं?

छात्र अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके ओटीआर में लॉगइन करके प्रोफ़ाइल विवरण अपडेट कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद, "प्रोफ़ाइल अपडेट करें" अनुभाग पर जाएँ, जहाँ आप आवश्यक विवरण अपडेट कर सकते हैं।

22. मैंने अपने माता-पिता/कानूनी अभिभावक के आधार का उपयोग करके ओटीआर पंजीकृत किया है। मेरे नाम में टाइपिंग की गलती है। मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं?

छात्र अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके ओटीआर में लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद, "प्रोफ़ाइल अपडेट करें" अनुभाग पर जाएँ और आवेदक का नाम अपडेट करें।

23. मैं अपने ओटीआर में अपनी ईमेल आईडी कैसे बदल सकता/सकती हूं?

छात्र को अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके ओटीआर में लॉग इन करना होगा। कृपया अपडेट ईमेल विकल्प पर क्लिक करें। आप इस विकल्प के माध्यम से ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं।

24. ओटीआर में सत्यापित ईमेल के क्या लाभ हैं? मैं अपनी ईमेल आईडी कैसे सत्यापित कर सकता हूं?

ओटीआर में सत्यापित ईमेल छात्रों को महत्वपूर्ण सूचनाएं और अपडेट प्राप्त करने में मदद करता है, और यह छात्र के खाते की सुरक्षा को बढ़ाता है। छात्र ओटीआर पोर्टल पर लॉग इन करके "अपडेट ईमेल" का परियोग और प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ईमेल को सत्यापित कर सकते हैं।

25. मैंने एनएसपी पोर्टल पर अपनी जन्मतिथि सही कर दी है। सुधार के दौरान, पोर्टल ने मुझे चेतावनी दी है, "कृपया ध्यान दें !! 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ओटीआर में अपने आधार को अपडेट करना आवश्यक है। साथ ही, मेरी प्रोफ़ाइल के सफल अपडेशन के बाद, मेरी ई-केवाईसी स्थिति "लंबित" के रूप में प्रदर्शित हो रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए?

जन्मतिथि को सही करते समय पोर्टल द्वारा दिखाई गई चेतावनी छात्रा को यह सूचित करने के लिए थी कि उसकी दर्ज जन्मतिथि के अनुसार वह वयस्क है और इसलिए छात्रा को अपने OTR प्रोफ़ाइल में अपना आधार अपडेट करना आवश्यक है और उसकी eKYC स्थिति लंबित है।

26. मुझे एसएमएस प्राप्त हुआ है "प्रिय छात्र, 18 वर्ष की आयु होने पर अपना आधार विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। यह अभी तक आपके ओटीआर नंबर XXXXXXXX के सापेक्ष आपका आधार विवरण अपडेट नहीं हैं तो कृपया अपडेट करे। एनएसपी टीम" और अब मेरी प्रोफ़ाइल में ई-केवाईसी स्थिति लंबित प्रदर्शित हो रही है"। अब मुझे क्या करना चाहिए?

छात्रा अब बालिग है, अतः उसका eKYC आवश्यक है। इसीलिए छात्र का eKYC स्टेटस लंबित दिख रहा गया है। अब, छात्रा को अपना eKYC (FaceAuth) करने की आवश्यकता है।

27. मुझे एसएमएस प्राप्त हुआ है "प्रिय छात्र, आपने अपने आधार नामांकन (ईआईडी) नंबर का उपयोग करके अपना ओटीआर नंबर जनरेट किया है। एक महीने के भीतर एनएसपी वेबसाइट पर अपने आधार विवरण को अपडेट करना आवश्यक है, जिसमें विफल होने पर आपके आवेदन को संसाधित करने से रोका जा सकता हैं। एनएसपी पोर्टल". अब मुझे क्या करना चाहिए?

छात्रा/ छात्रा ने अपनी ईआईडी का उपयोग करके अपना ओटीआर जेनरेट किया है। छात्र को ओटीआर जेनरेट होने के एक महीने के भीतर अपना आधार विवरण जमा करना होगा, अन्यथा ओटीआर को निलंबित किया जा सकता है या स्कालरशिप आवेदन को संसाधित करने से रोका जा सकता हैं। कृपया अपना आधार जमा करें और अपना ईकेवाईसी (फेसऑथ) करें ताकि ओटीआर को निलंबित न किया जाए और स्कालरशिप आवेदन प्रक्रिया को रोका न जाए।

28. मैंने आधार में अपना विवरण अपडेट कर लिया है। मैं ओटीआर में अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकता हूँ?

छात्र अपनी प्रोफ़ाइल में उपलब्ध "रिफ्रेश ई-केवाईसी" विकल्प के माध्यम से ओटीआर में आधार विवरण अपडेट कर सकते हैं।

29. ओटीआर लॉगिन विंडो में "आधार के साथ लॉगिन" विकल्प क्या है? मैं आधार नंबर का उपयोग करके ओटीआर में कैसे लॉगिन कर सकता हूं?

यह विकल्प आधार का उपयोग करके ओटीआर में लॉगिन करने का वैकल्पिक प्रदान करता है। "लॉगिन विद आधार" विकल्प चुनें। लॉगिन करने के लिए अपना आधार नंबर और अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीआर को दर्ज करें।

30. क्या एनएसपी की सेवाएं सीएससी पर भी उपलब्ध हैं?

हां, छात्र एन०एस०पी० की सेवाएं सी०एस०सी० केंद्र पर प्राप्त सकते हैं। आप ओ०टी०आर० बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर सकते हैं और अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भी भर सकते हैं।

31. सीएससी पर एनएसपी सेवाओं के लिए शुल्क क्या हैं?

प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए सम्पूर्ण कार्य (संदर्भ संख्या प्राप्त करना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) संख्या प्राप्त करना, तथा अभ्यर्थी का पूर्ण छात्रवृत्ति आवेदन पत्र दाखिल करना सहित) का कुल शुल्क 30.00 रुपये (सभी लागू करों आदि सहित) है।

32. सीएससी केंद्र पर ओटीआर बनाने के लिए क्या पूर्वापेक्षाएँ हैं?

सीएससी केंद्र पर निम्नलिखित आवश्यक हैं

1) सक्रिय मोबाइल नंबर
2) आधार संख्या
3) बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण करने के लिए छात्र/अभिभावक/कानूनी अभिभावक की भौतिक उपस्थिति
4) एनपीसीआई सीडिंग स्थिति (वांछित)

33. मैं निकटतम सीएससी कैसे ढूंढ सकता हूं?

नजदीकी सीएससी खोजने के लिए, इस लिंक पर जाएं: **https://locator.csccloud.in/.**

****